

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 29/2021 (2021/47)

दर्ज दिनांक 27.01.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. मूलसिंह पिता बालुसिंह राजपूत निवासी अरनिया जांगीर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. शिवसिंह पिता बाघसिंह राजपूत
  2. बजरंगसिंह पिता जेतुसिंह राजपूत
  3. बेबी कंवर पुत्री जेतुसिंह राजपूत नावालिग जरिये संरक्षक सरपरस्त माता मदनकंवर पत्नि जेतुकंवर राजपूत
  4. मदनकंवर पत्नि जेतुसिंह राजपूत
  5. मितुकंवर पुत्री जेतुसिंह राजपूत
  6. संजुकंवर पुत्री पुत्री जेतुसिंह राजपूत नावालिग जरिये संरक्षक सरपरस्त माता मदनकंवर पत्नि जेतुकंवर राजपूत
- सर्व निवासी अरनिया जांगीर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
7. मोहन पिता रूपा भील निवासी आमली का गुढा तहसील चारभुजा जिला उदयपुर।
  8. उषा कंवर पत्नि रायसिंह राजपूत निवासी उलपुरा (नदीवाला) तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
  9. गिरधारीसिंह पिता विजयसिंह राजपूत
  10. गोविन्दसिंह पिता विजयसिंह राजपूत
  11. मदनसिंह पिता विजयसिंह राजपूत
  12. सम्पतसिंह पिता बालुसिंह राजपूत
  13. डालू पिता नारू बलाई
  14. रामलाल पिता नारू बलाई
  15. हेमा पुत्र नारू बलाई
  16. भगवतसिंह पिता बालूसिंह राजपूत
  17. गुलाबसिंह पिता बालुसिंह राजपूत
  18. मांगु पिता केला कुमावत
  19. नाथु पिता नानु कुमावत
  20. लेहरू पिता नानु कुमावत
  21. हेमा पिता नानु कुमावत
  22. अम्बालाल पिता मूला कुमावत
  23. नारायण पिता मूला कुमावत
  24. रामा पिता मूला कुमावत
  25. लेहरी पित मूला कुमावत
  26. हिम्मत पिता मूला कुमावत

सर्व निवासी अरनिया जांगीर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।



—विपक्षीगण

27. उदयराम पिता डालु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
28. कोयली पुत्री डालु कुमावत
29. चांदी पत्नि डालु कुमावत
30. पुरणमल पिता डालु कुमावत
31. प्रेमी पुत्री डालु कुमावत
32. गिरधारी पिता उदयराम कुमावत
33. चुन्नी पत्नि दयाराम कुमावत
34. बालु पिता दयाराम कुमावत
35. रेमता पिता दयाराम कुमावत

सर्व निवासी अरनिया जांगीर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

36. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री भोलाराम माली

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-02.03.2021


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम अरनिया जांगीर पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2 रकबा 0.46 हे0, 3 रकबा 1.10 हे0, 401 रकबा 0.91 हे0, 406 रकबा 0.80 हे0, 461 रकबा 0.06 हे0, 540 रकबा 0.35 हे0, 616 रकबा 0.65 हे0 कुल कित्ता 07 कुल रकबा 4.33 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 98 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है। जिनकी जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 32 एवं 34 लगायत 36 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 33 की मृत्यु हो जाने से प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अरनिया जांगीर पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2 रकबा 0.46 हे0, 3 रकबा 1.10 हे0, 401 रकबा 0.91 हे0, 406 रकबा 0.80 हे0, 461 रकबा 0.06 हे0, 540 रकबा 0.35 हे0, 616 रकबा 0.65 हे0 कुल कित्ता 07 कुल रकबा 4.33 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 98 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 800/- ( आठ सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 800/- ( आठ सौ रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उप-विभागीय अधिकारी  
(विकास पंचोली)  
सहायक उप-विभागीय अधिकारी  
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.